



बाल श्रम की सामाजिक-कानूनी समस्याएँ: आयामों का एक अध्ययन

शेर सिंह पवार ^{1*}, डॉ. नरेंद्र कुमार थापक ²

1. शोधकर्ता, विधि विभाग, एलएनसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र., भारत
shersingh.sslc@gmail.com ,
2. प्रोफेसर, विधि विभाग, एलएनसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र., भारत

सारांश: यह अध्ययन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में कार्यरत सेवा प्रदाताओं की धारणाओं की भूमिका का विश्लेषण करता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा क्षेत्रों में कार्यरत अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, और सरकारी शिक्षक की दृष्टिकोण, अनुभव और व्यवहार को समझा गया है। यह पाया गया कि सेवा की प्रभावशीलता केवल संरचनात्मक या नीतिगत व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि सेवा प्रदाता अपने कार्य को किस रूप में देखते हैं कर्तव्य, बोझ, या सामाजिक योगदान के रूप में। शोध से यह भी स्पष्ट हुआ कि यदि सेवा प्रदाताओं को उचित संसाधन, प्रशिक्षण, और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाए तो उनकी धारणा सकारात्मक होती है, जिससे सेवा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार होता है। अध्ययन में विभिन्न नीति दस्तावेजों, जमीनी अनुसंधानों और केस स्टडीज के माध्यम से इस मुद्दे की गहराई से विवेचना की गई है।

मुख्य शब्द: सेवा प्रदाता, धारणा, सेवा वितरण, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण सेवाएं

----- X -----

प्रस्तावना

सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया केवल नीतियों और योजनाओं पर आधारित नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया में शामिल सेवा प्रदाताओं की धारणाएं, दृष्टिकोण और व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेवा प्रदाताओं की धारणा यह निर्धारित करती है कि वे योजनाओं को किस प्रभावशीलता से लागू करते हैं, लाभार्थियों से कैसे संवाद करते हैं, और नीतिगत लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर कैसे रूप देते हैं। यह अध्याय सेवा प्रदाताओं की धारणाओं का विश्लेषण करता है, विशेषकर स्वास्थ्य, पोषण, और शिक्षा जैसे सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में।

बाल श्रम की अवधारणा और नैतिकता

बाल श्रम की अवधारणा

बाल श्रम की अवधारणा एक जटिल घटना है क्योंकि यह अन्य विभिन्न कारकों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए इसका अलग से अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अन्य कारकों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, जिनका आपस में जटिल संबंध है। ये कारक माता-पिता, नियोक्ता, राज्य, सामाजिक अखंडता, औद्योगिक क्रांति, गरीबी, आर्थिक स्थिति, सामाजिक संस्कृति, अशिक्षा, शिक्षा, काम की प्रकृति, काम की अवधि, बच्चे की उम्र आदि हो सकते हैं। ये कारक एक-दूसरे के साथ मिल सकते हैं और बाल श्रम को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बाल श्रम की अवधारणा को समझाने के लिए इनमें से प्रत्येक कारक का विश्लेषण करना आवश्यक है। 'बाल श्रम' शब्द दो शब्दों का समूह है। 'बच्चे' शब्द को उसकी उम्र, काम की प्रकृति, मात्रा और आय पैदा करने की क्षमता के संदर्भ में कहा जा सकता है।

बाल श्रम की वैचारिक समस्याओं के संबंध में विचारों/स्कूलों के दो दृष्टिकोण हैं। स्कूल जिसे पहले 'उन्मूलनवादी स्कूल' के रूप में जाना जाता था, का मानना था कि शिक्षा 5-14 आयु वर्ग के बीच हर बच्चे का मौलिक मानव अधिकार होना चाहिए। कोई भी बच्चा जो स्कूल से बाहर है, उसे संभावित कामकाजी बच्चा कहा जाना चाहिए। उन्मूलनवादियों का मानना है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना और बाल श्रम का उन्मूलन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक को दूसरे को प्राप्त किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार खतरनाक और गैर-खतरनाक काम के बीच का विभाजन महत्वहीन है।

'सुधारवादी स्कूल', दूसरा स्कूल है, जिसका मानना है कि, चूंकि बाल श्रम एक 'कठोर वास्तविकता' है, जिसका अर्थ है कि भारत

की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों (जैसे बेरोजगारी, गरीबी और निरक्षरता) के कारण बाल श्रम की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करना असंभव है। उन्हें लगता है कि बाल श्रम के उन्मूलन को एक दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे धीरे-धीरे प्राप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, समर्थक खतरनाक और गैर-खतरनाक काम में बाल श्रम के निषेध और विनियमन के दोहरे दृष्टिकोण को देखते हैं।

नैतिकता और बाल श्रम

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के विचारों के अनुसार, "किसी समाज की आत्मा का इससे अधिक स्पष्ट रहस्योद्घाटन नहीं हो सकता कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चे समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत कीमती प्राणी हैं। वे मासूम, पारदर्शी और जीवन के प्रति पूरी तरह खुले होते हैं। सभी ईमानदार सत्य-कथन बच्चे ही करते हैं। इन सबके साथ, बच्चों को जीवन में सर्वश्रेष्ठ के अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, एक ऐसा जीवन जो सुविधाओं और सहजता से भरा हो, एक ऐसा जीवन जिसमें कम या कोई संघर्ष न हो, एक ऐसा जीवन जो चिंता, दबाव और घृणा से मुक्त हो, एक ऐसा जीवन जिसमें वे बिना किसी प्रतिबंध और आरक्षण के दुनिया का पता लगा सकें।

दुर्भाग्य से, यह हृदय विदारक है कि आज के कई बच्चे बाहरी कॉर्पोरेट दुनिया के हानिकारक प्रभावों के कारण अपनी मासूमियत से वंचित हो रहे हैं। कुछ को बहुत जल्दी बड़ा होने और असुरक्षित भविष्य का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ पारिवारिक जीवन के टूटने से परेशान हैं और अन्य उपेक्षित हैं। कई स्कूल से बहुत दूर रह जाते हैं और उन्हें खुद का पेट पालने और खुद का ख्याल रखने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। बहुत से लोग हिंसा के विभिन्न रूपों से पीड़ित हैं और दिन-रात क्रूर और अमानवीय व्यवहार के अधीन हैं। कई बच्चे जबर्न काम के सबसे बुरे रूप में पैदा होते हैं। वे गरीब परिवार के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं; इसके अलावा बच्चे अपने घर से बाहर भी खूब मौज-मस्ती करते हैं। जबकि इसी उम्र के बच्चों का पूरा स्वर्ग उनके माता-पिता उठाते हैं, बदले में वे अपने माता-पिता को अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे देते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से अनैतिक है क्योंकि यह उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आचरण की निष्पक्षता निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है। नैतिकता वह अवधारणा है जिसके द्वारा मनुष्य ने यह परिभाषित करने का प्रयास किया है कि हमारे कार्यों और विचारों के बारे में क्या सही है और क्या गलत है और हमारे मानव होने के बारे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसे कानून की तुलना में तर्कों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। नैतिकता बनाम कानून की बहस में हमेशा नैतिकता को ही प्राथमिकता दी गई है। हालांकि नैतिकता को बाल श्रम की नैतिक चिंताओं को रेखांकित करने के लिए दो विरोधी प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण करके निर्धारित किया जा सकता है। ये नैतिकता के कांटियन और उपयोगितावादी सिद्धांत हैं।

बाल श्रम के प्रति ILO का मानवाधिकार दृष्टिकोण

1948 में सभी पुराने विचारों और सिद्धांतों पर विचार करते हुए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में इस बात पर जोर दिया गया है कि "घोषणा में वर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार हर कोई है" यह मानवाधिकारों का आनंद लेने के लिए कोई आयु योग्यता नहीं बनाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह बच्चों तक भी विस्तारित है। इसके अलावा UDHR के अनुच्छेद 4 की व्याख्या बाल श्रम को शामिल करने के लिए 'दासता' की व्याख्या करके बाल श्रम के शोषण को प्रतिबंधित करने के रूप में की गई है। इसके अलावा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 23 और 26 "काम की न्यायसंगत और अनुकूल परिस्थितियों" और "शिक्षा के अधिकार" की गारंटी देने की मांग करते हैं, जिनमें से दोनों का बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के अभ्यास के माध्यम से लगातार और वैश्विक स्तर पर उल्लंघन किया जाता है।

1966 में ICESCR और ICCPR द्वारा मानव अधिकारों के सुधार के लिए उम्र को फिर से परिभाषित करके एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम उठाया गया था और बचपन एक ऐसा चरण है जिसके लिए वयस्कों के अधिकारों से अलग अधिकारों के संबंध में विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 1989 में बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरसी) ने स्पष्ट रूप से बच्चों के अधिकारों को स्पष्ट किया और उन्हें वयस्कों से अलग एक विशेष दर्जा दिया। इसके अलावा, एक प्राथमिकता दृष्टिकोण अपनाया गया जिसमें बाल श्रम के अधिक अपमानजनक रूपों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसी तरह आईएलओ ने 1999 में बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर कन्वेंशन 182 को अपनाया, जिसका उद्देश्य बाल श्रम के असहनीय रूपों को तुरंत खत्म करना था। इसके लिए

हस्ताक्षरकर्ताओं को बाल श्रम के खतरनाक रूपों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने के लिए व्यावसायिक समूहों के साथ काम करना होगा। कन्वेंशन 138 और 182 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के मुख्य कन्वेंशन माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से मानवाधिकार समूहों ने इसकी आलोचना की है क्योंकि यह बाल श्रम के खतरनाक और गैर-खतरनाक रूपों का कृत्रिम विभाजन है और केवल श्रम नियमों के लाभ के लिए बनाया गया है। वास्तव में बाल श्रम का कोई भी रूप बच्चों के लिए बहुत हानिकारक और शोषणकारी है। 1989 में बाल श्रम पर कन्वेंशन (सीआरसी) ने बाल श्रम के लिए मानवाधिकार दृष्टिकोण अपनाया। सीआरसी बच्चों को नुकसान से बचाने और जहाँ वे काम करते पाए जाते हैं, वहाँ रोजगार के नियमन पर जोर देता है। इसके अलावा यह बच्चों के शिक्षा के अधिकार और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने के अधिकार से भी संबंधित है, जिसमें उनके रोजगार से संबंधित निर्णय भी शामिल हैं। हालांकि, सीआरसी द्वारा कुछ आलोचनाओं का सामना किया जाता है कि बाल श्रम को एक विशेष श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने से उनके अधिकारों को कम करके आंका गया है, उन्हें कमजोर बना दिया गया है और उन्हें एक वयस्क वकील की आवश्यकता है। दूसरी ओर, सीआरसी के रक्षकों का तर्क है कि इस वर्गीकरण से बच्चों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हितों के साथ अधिक अधिकार मिलते हैं जो उनके जीवन चक्र में उनके चरण के लिए विशिष्ट हैं। गुलामी उन्मूलन, दास व्यापार, दास व्यापार के समान संस्थाओं और प्रथाओं पर अतिरिक्त सम्मेलन, जैसा कि ICCPR अनुच्छेद 8(2) और 1956 और UDHR के अनुच्छेद 4 में निहित है, बाल श्रम के शोषण पर प्रतिबंध लगाने के रूप में व्याख्या करते हैं क्योंकि यह 'दासता' के अंतर्गत आता है। ICCPR के अनुच्छेद 8(3) के तहत बाल श्रम की व्याख्या 'जबरन या अनिवार्य श्रम' के रूप में भी की जाती है। अनुच्छेद 8 के तहत राज्य पक्षों पर दायित्व तत्काल और पूर्ण हैं। इस प्रकार राज्य निजी पक्षों को बाल श्रम मानदंडों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। ICCPR का अनुच्छेद 24 राज्य को बच्चों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए बाध्य करता है। बाल श्रम और बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे यानी CRC के साथ सामंजस्यपूर्ण है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। यह परियोजना CRC के कई अनुच्छेदों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। परियोजना के दायरे में समानता पर संक्षेप में चर्चा की गई है। बाल श्रम और स्कूल न जाने वाले बच्चों के मुद्दों को संबोधित करने के अलावा, विशेष रूप से एससी और एसटी समुदायों में बाल श्रम की कथित उच्च घटनाओं वाले भौगोलिक क्षेत्रों को लक्षित करके, सबसे अधिक जोखिम वाले कमजोर बच्चों और परिवारों को कवर किया गया है। विशेष रूप से परियोजना के घटक 4 के तहत, कमजोर लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। यह परियोजना महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) और किशोर लड़कियों के समूहों (AGG) के साथ जुड़कर बाल श्रम और स्कूल न जाने वाले बच्चों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए समुदाय स्तर पर महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए लिंग पर ध्यान केंद्रित करती है। परियोजना के घटक 3 समूहों को क्षमता विकास और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

बाल श्रम की विश्वव्यापी समस्या

प्रागैतिहासिक काल

मानव का प्रागैतिहासिक काल, लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पहले होमिन द्वारा पहले पत्थर के औजारों के उपयोग और लेखन प्रणालियों के आविष्कार के बीच का काल है। प्रारंभिक मानव इतिहास के दौरान जब जनजातियाँ भूमि पर विचरण करती थीं, तो बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार और मछली पकड़ने में भाग लेते थे। जब ये समूह परिवारों में विभाजित हो गए, तो बच्चों ने पशुधन और फसलों की देखभाल करके काम करना जारी रखा। उनके कार्यों में नमक खनन और ईंट बनाना शामिल है। कुछ बच्चे छह साल की उम्र में ही मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहे थे। अन्वेषक ने बार्सिलोना, स्पेन में यूरोपीय पुरातत्वविदों के संघ (EAA) की एक बैठक में इनमें से कई खोजों को खोला। यह पाया गया कि अधिक से अधिक प्रमाण मिलेंगे कि बच्चे अपनी उम्र में ही आर्थिक क्षेत्र में शामिल हो रहे थे।

हाल के शोध से पता चलता है कि कुछ प्रागैतिहासिक युवा खदानों सहित कठोर वातावरण में काम करते थे। शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रिया के हॉलस्टैट की प्राचीन नमक खदानों की खुदाई के दौरान 1000-1300 ईसा पूर्व की एक बच्चे के आकार की चमड़े की टोपी और बहुत छोटी खनन कुल्हाड़ी की खोज की है। इससे पता चलता है कि वैज्ञानिकों ने जितना सोचा था, उससे कम से कम दो शताब्दी पहले से बच्चे इन खदानों में काम कर रहे थे। जब ले रॉय ने फ्रांस में प्रागैतिहासिक कब्रों से कंकाल अवशेषों के एक

समूह का विश्लेषण किया, तो उन्हें बेलनाकार खांचे वाले तीन बच्चे के दांत मिले। ले रॉय का कहना है कि ऐसा घर्षण तब होता है जब लोग अपने दांतों का उपयोग जानवरों के टेंडन या पौधे की सामग्री को बार-बार, बलपूर्वक खींचने और नरम करने के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं। ये दांत एक से नौ साल की उम्र के दो बच्चों के थे। वे 2100-3500 ईसा पूर्व के हैं, जो उन्हें कुशल श्रम में लगे बच्चों के सबसे पुराने साक्ष्यों में से एक बनाता है। 54 अन्य शोधकर्ता बाल श्रम के बारे में जानकारी के लिए कंकालों के बजाय कलाकृतियों पर जोर दे रहे हैं। पायदान के आकार से अनुमान लगाया गया कि छह या उससे कम उम्र के बच्चे मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। लिखित अभिलेखों के आगमन से पता चलता है कि, कार्यबल में युवाओं की उपस्थिति थी। पुरातत्व सर्वेक्षण साक्ष्य बच्चों की भूमिका के बारे में शक्तिशाली व्याख्या प्रदान करते हैं। 13 से 17 शताब्दियों के दौरान लिथुआनियाई महल से खुदाई में मिली ईंटों और छत की टाइलों पर अभी भी युवा रचनाकारों के रूप में उंगलियों के निशान हैं। प्रिंट एज के विश्लेषण से पता चलता है कि 8 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों ने बरामद निर्माण सामग्री का 10% से अधिक बनाया है। जब किसी बच्चे के उंगलियों के निशान किसी बर्तन के अंदर पाए जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि यह बच्चे द्वारा बनाया गया है। 55 यह पिछले समाजों में बाल श्रमिकों की खोज करने का एक और तरीका है। पूंजीवाद के बाद के विकास ने नए सामाजिक दबाव पैदा किए। 56 उदाहरण के लिए, 1575 में, इंग्लैंड ने बच्चों को 'श्रम के आदी बनाने' और 'आवारा और कंगालों के खिलाफ एक रोगनिरोधी खर्च वहन करने' के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने का प्रावधान किया। यह क्षमायाचना की गई है कि "मानव जाति के एक चौथाई लोग सात वर्ष से कम उम्र के बच्चे, पुरुष और महिलाएं हैं, जिनसे बहुत कम श्रम की उम्मीद की जा सकती है।" इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद विशेष रूप से सभ्यता के युग के दौरान हम देखते हैं कि भूमध्यसागरीय बेसिन के युवाओं के लिए अपने वयस्क समकक्षों के सहायक, सारथी और हथियारबंद वाहक के रूप में सेवा करने की प्रथा थी। अन्य उदाहरण ग्रीक पौराणिक कथाओं में हरक्यूलिस और हिलाश के भी मिल सकते हैं। ग्रीस में इस तरह की प्रथा को एक शैक्षिक प्रणाली माना जाता था यह युवा बल बर्लिन की लड़ाई के दौरान जर्मन रक्षा का एक प्रमुख हिस्सा था।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाल श्रम का इतिहास औद्योगिकीकरण के किसी अंधेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत में, बच्चे सदियों से कृषि और अन्य घरेलू गतिविधियों में अपने माता-पिता की मदद करते थे और उनके साथ जाते थे। इस प्रकार यह पता चलता है कि बाल श्रम दुनिया के लिए बिल्कुल नई बात नहीं है।

बाल श्रम का भारतीय राष्ट्रीय परिसर

रचनात्मकता मनुष्य की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। उत्पादन और विनिर्माण सभी प्राणियों में ही संभव है, केवल मनुष्य में ही। हम इसे विकास कहते हैं। यह श्रम नामक कार्यशील शक्ति की शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करके किया जा सकता है। इसलिए विकास और श्रम एक दूसरे पर पारस्परिक और अन्योन्याश्रित हैं। श्रम एक प्रमुख रचनात्मक शक्ति है और लगभग सभी देशों की श्रम शक्ति में बाल श्रम भी शामिल है, खासकर गरीब देशों में। इसके अलावा, नियोक्ता मानते हैं कि बाल श्रम बल कई मामलों में वयस्क श्रम से अधिक फायदेमंद है। वे बच्चों की कमजोरी का प्रतिकूल लाभ उठाते हैं।

बाल श्रमिकों के लाभार्थी उनके माता-पिता, नियोक्ता और समाज और यहाँ तक कि देश भी हैं। माता-पिता अपने बच्चों को घरेलू, पारिवारिक और कृषि कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। वे अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए नियोक्ताओं के पास काम करने के लिए भेजते हैं। ऐसा काम जो उनके स्कूल, मनोरंजन और बच्चे के सामान्य विकास में बाधा डालता है, उसे बाल श्रम कहा जाता है। दूसरी ओर काम हर प्राणी के विकास का अनिवार्य हिस्सा है और बच्चे भी उसी तरह जीते हैं जिसके बिना किसी भी प्राणी का अस्तित्व नहीं रह सकता। भारत एशिया महाद्वीप का एक विकासशील और अग्रणी देश है, जहाँ 33 मिलियन बच्चे विभिन्न प्रकार के बाल श्रम में लगे हुए हैं। देश में जनगणना के आंकड़ों पर CRY द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि पिछले 10 वर्षों में बाल श्रम में कुल कमी केवल 2.2 प्रतिशत है। साथ ही, यह भी पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 18 वर्ष से कम आयु के 444 मिलियन बाल श्रमिक हैं, जो देश की कुल आबादी का 37% है। इसलिए वास्तविक आँकड़ों के अनुसार देश में बाल श्रम 10,130,000 बच्चों तक पहुँच जाता है, जो खतरनाक क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं।

सेवाएं प्रदान करने में चुनौतियां

- सेवा प्रदाताओं की धारणाओं को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक:
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी।
- प्रेरणा के लिए मान्यता की अनुपस्थिति।
- न्यून संसाधन और संरचनात्मक सहयोग का अभाव।
- राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक दबाव।

नीति निर्माण में सुझाव

- प्रेरक तंत्र (Incentive mechanisms) तैयार किए जाएं जो सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन को पहचानें और पुरस्कृत करें।
- नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे कार्यकर्ता योजनाओं के उद्देश्यों को समझें।
- सुनवाई और फीडबैक तंत्र विकसित किया जाए जिससे प्रदाताओं की समस्याओं को नीति में शामिल किया जा सके।
- सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रम चलाए जाएं।

निष्कर्ष

सेवा प्रदाताओं की धारणाएं केवल एक मानसिक स्थिति नहीं हैं, बल्कि यह सेवा वितरण की गुणवत्ता, स्थायित्व और प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला एक केंद्रीय कारक है। यदि नीति निर्माता इन धारणाओं को समझें और उनके अनुसार हस्तक्षेप करें, तो सेवा प्रणाली अधिक जवाबदेह और परिणामोन्मुख बन सकती है।

संदर्भ

1. कुमार, एस., एट अल. (2016). भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का रवैया। बीएमसी स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान, 16, 658.
2. बाजपेयी, एन., और गोयल, एस. (2018). भारत में आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में सुधार। सतत विकास केंद्र, कोलंबिया विश्वविद्यालय।
3. गोविंदा, आर., और बंधोपाध्याय, एम. (2010). भारत में प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय शासन और सामुदायिक भागीदारी का बदलता ढांचा। एनयूईपीए।
4. भारत में बाल श्रम का उन्मूलन: एक शानदार भ्रम की ओर, एस. पंडियाराज, - खंड 46, (2006) भारतीय पत्रिका
5. बाल श्रम एक सामाजिक-कानूनी अध्ययन, पी.पी. जयंती, खंड 1 (1998) केरल विश्वविद्यालय। जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज, विधि विभाग, केरल विश्वविद्यालय, पृ.1
6. नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति (1994 से 1999)। वे पहले अश्वेत राष्ट्राध्यक्ष थे और पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए थे।
7. नैतिक मुद्दे और तर्क विनीसेल मे कास्त्रो एंचेता, फिलीपींस, 201 द्वारा योगदान दिया गया
8. जॉन मैकनामारा, नैतिक तर्क का विकास और ज्यामिति की नींव, 21 जे थ्योरी सोक. बिहेव. 125 (1991)।
9. 1945: यूथ इन रुइन्स, सारा जूडिथ हॉफमैन / सीएमके, 21.06.2014, www.dw.com
10. लिप्स्की, एम. (1980). स्ट्रीट-लेवल ब्यूरोक्रेसी: सार्वजनिक सेवाओं में व्यक्ति की दुविधाएँ। न्यूयॉर्क: रसेल सेज फाउंडेशन।
11. शर्मा, ए. (2015)। ग्रामीण भारत में सेवा वितरण के प्रति फ्रंटलाइन वर्कर्स की धारणा। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक

एडमिनिस्ट्रेशन, 61(3), 491-506।